न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या 3 / 7 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज0)

वउनवान

1. जुहरी बेवा जब्बल खां उम्र करीब 54 साल जाति मेव
2. अब्बास पुत्र जब्बल खां उम्र करीब 28 साल जाति मेव
   निवासीयान नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः—
श्री रहीस खान — अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार — अप्रार्थी

आदेश दिनांक **15.07.2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 354, 268, 355, 91, 398 वाके ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2276 है0, 934 रकबा 0.0632 है0, 282 रकबा 0.1517 है0, 461 रकबा 0.4931 है0, 930 रकबा 0.2023 है0, 932 रकबा 0.2023 है0, 933 रकबा 0.1643 है0, 935 रकबा 0.0632 है0, 1110 रकबा 0.3161 है0, 1111 रकबा 0.2781 है0 वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी का नामान्तकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा सहवन से जलेब खां पुत्र बाजू बेजा रूप से दर्ज कर दिया गया है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

विवादित आराजी है जिसे आगे चलकर प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि पटवारी हल्का ने बिना कोई रजि0 दस्तावेज के प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम जब्बल खां पुत्र बाजू के स्थान पर जलेब खां पुत्र बाजू गलत नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। क्योंकि गॉव में उसे जलेब खां व जब्बल खां दोनों नामों से बुलाते है। प्रार्थीगण के पति/पिता का सही नाम जब्बल खां पुत्र बाजू है। तथा प्रार्थीगण के आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम जब्बल खां पुत्र बाजू है तथा आराजी खसरा नं. 521 वाके ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ में भी प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम जब्बल खां पुत्र बाजू है। लेकिन आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2276 है0, 934 रकबा 0.0632 है0, 282 रकबा 0.1517 है0, 461 रकबा 0.4931 है0, 930 रकबा 0.2023 है0, 932 रकबा 0.2023 है0, 933 रकबा 0.1643 है0, 935 रकबा 0.0632 है0, 1110 रकबा 0.3161 है0, 1111 रकबा 0.2781 है0 वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम जलेब खां पुत्र बाजू गलत दर्ज हो गया है। जब्बल खां पुत्र बाजू की मृत्यु दिनांक 22.05.1998 को हो चुकी है। जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी सही नाम जब्बल खां पुत्र बाजू है।

यह है कि विवादित आराजी में गलत नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।

अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 136 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2276 है0, 934 रकबा 0.0632 है0, 282 रकबा 0.1517 है0, 461 रकबा 0.4931 है0, 930 रकबा 0.2023 है0, 932 रकबा 0.2023 है0, 933 रकबा 0.1643 है0, 935 रकबा 0. 0632 है0, 1110 रकबा 0.3161 है0, 1111 रकबा 0.2781 है0 वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में प्रार्थीगण के पति/पिता का

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

नाम जलेब खां पुत्र बाजू के स्थान पर सही नाम जब्बल खां पुत्र बाजू दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी (तहसीलदार गोविन्दगढ़) के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने जवाब में प्रमुखत कथन किया है कि जब्बल खां पुत्र बाजू तथा जलेब खां पुत्र बाजू एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की ताहिद में जुहरी पत्नी स्व. श्री जब्बल खां एवं अब्बास पुत्र स्व. श्री जब्बल खान के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र/हल्फनामा पेश किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना के समर्थन में जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 521 **प्रदर्श–1**, जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 283 **प्रदर्श–2**, जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 934 **प्रदर्श–3**, जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 282, 461 **प्रदर्श–4**, जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 930, 932, 933, 935 **प्रदर्श–5**, जमाबंदी संवत 2072–75 खसरा नं. 1110, 1111 **प्रदर्श**–6 वाके ग्राम नसवारी पेश किये है।

<u>136 **Correction of errors:-**</u> the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। अप्रार्थी (तहसीलदार गोविन्दगढ़) के जवाब अनुसार जब्बल खां पुत्र बाजू तथा जलेब

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

खां पुत्र बाजू एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते अलवर (राज0)

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गोविन्दगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे बाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 354, 268, 355, 91, 398 वाके ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 283 रकबा 0.2276 है0, 934 रकबा 0.0632 है0, 282 रकबा 0.1517 है0, 461 रकबा 0. 4931 है0, 930 रकबा 0.2023 है0, 932 रकबा 0.2023 है0, 933 रकबा 0.1643 है0, 935 रकबा 0.0632 है0, 1110 रकबा 0.3161 है0, 1111 रकबा 0.2781 है0 में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम जलेब खां पुत्र बाजू के स्थान पर सही नाम जब्बल खां पुत्र बाजू दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

अतः यह आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0